

<u>GAUTAM BUDH NAGAR</u> सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.04.2025

1.थाना कासना पुलिस द्वारा बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों को बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.04.2025 को थाना कासना पुलिस द्वारा साईट-5 झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र से अभियुक्त मिंकू पुत्र बबली को 01 मोबाईल फोन, 02 बैंक चैक की छायाप्रति, 01 बैंक पासबुक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 65/2025 धारा 318, 338, 336, 340,61(2),3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्त द्वारा फैक्ट्रीयों में काम करने वाले गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को गुमराह कर व लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवा लेता था तथा उन बैंक खातों में अपने मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करा देता है तथा जो बैंक खाते पहले से खुले होते थे उनके बैंक खातों में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर उनसे प्राप्त कर लेता है। खाते के बदले उन्हें ढाई तीन हजार रुपये दे देता था और अपना खाता व अन्य खातो को साइबर ठगों को बेचकर अवैध धन अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभियुक्त मिंकू पुत्र बबली ग्राम धरारी थाना खुर्जा ग्रामीण जिला बुलन्दशहर उम्र 20 वर्ष

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 65/2025 धारा 318, 338, 336, 340,61(2),3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट

बरामदगी का विवरण--

- 1. एक मोबाईल फोन
- 2. बैक खाता की पासबुक की छाया प्रति
- 3. दो चैक